02-12-2022 पत्रावली पेश हुई।

तहसीलदार सिणधरी से मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक क्रमांक 1926 दिनांक 0112.2022 के प्राप्त हुई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित खेत खसरा नम्बर 753 / 565,574,575 व 577 मौजा सड़ा धनजी में चल रहे कदीमी रास्ते की पुनः भौतिक जांच एवं उपस्थित पक्षकारान के रूबरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested

87/2022

मौजा जांच अनुसार उक्त खेतो मे से होकर चालू बारहमासी रास्ते के रूप में कई वर्षो से मौके पर चल रहा है। जिसे सलंग्न नक्शे में ACDEFGHI दर्शाया गया है जिसमें बिन्दु सं. A से CDEFGHI तक मौके पर कदीमी रास्ता कई वर्षो से चल रहा है। पूर्व में खसरा नम्बर 565 में रास्ते के रूप में कायम हुए नये खसरा नम्बर 754/565 (बिन्दु सं. A से B) रकबा 0.1332 को निरस्त करते हुए नव प्रस्तावित बिन्दु सं. ACDEFGHI के के क्रम मे मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित भूमि को संशोधित कदीमी रास्ते के रूप में दुरूस्त करते हुए तद्नुसार पुनः आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थी के पैरोकार की बहस के समर्थन में विप्रार्थीगण द्वारा अपनी ओर से लिखित अभिकथनों के स्वीकार किया कि विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 753/565 से होकर गुजरने वाले कदीमी रास्ता बिन्दु सं. A से C से होकर आगे खसरा संख्या 574 में गुजरने वाले कदीमी रास्ता बिन्दु सं. D से E, F से G, G से H खसरा नम्बर 575 में गुजरने वाले कदीमी रास्ता बिन्दु सं. H से I व खसरा नम्बर 577 में गुजरने वाले कदीमी रास्ता बिन्दु सं. E से F बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कदीमी रास्ते के रूप में विद्यमान रास्ता जो कि वर्तमान में संशोधित के प्रस्तावित प्रस्तावित किया गया है तथा उक्त खसरा नम्बरान् के संबंधित खातेदारान ने अपनी ओर से सहमति व्यक्त करते हुए अपने-अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये है। अतः ग्राम सड़ा धनजी में विद्यमान बारहमासी रास्ता के रूप में पूर्व में स्वीकृत नक्शे पर पुनः प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के सलंग्न प्राप्त नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु सं. बिन्दु सं. A से CDEFGHI तक मौके पर कदीमी रास्ता को स्वीकृत एवं बिन्दु सं. A से B को निरस्त करते हुए तद्नुसार पक्षकारान की सहमति के आधार पर नव प्रस्तावित कदीमी रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित आदेश जारी किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस [illegible] उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा पुनः प्राप्त मौका जांच रिपो[illegible] दिनांक [illegible]1.12.2022 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया गया [illegible] विवादित भूमि के संबंध में संबंधित पक्षकारान के रूबरू मौका स्थि[illegible] की पुनः जांच अनुसार विवादित भूमि में चल रहे बारहमासी आम रास्ते को बाद संशोधन के विद्यमान रखकर उससे आगे सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु सं. A से B को निरस्त कर उसके स्थान पर बिन्दु सं. A से

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:31:47 IST
Reason: SelfAttested

CDEFGHI को दृष्टिगत रखते हुए तद्नुसार संशोधन के दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित खेत खसरा नम्बर 565 से विभक्त होकर कदीमी रास्ते के रूप में कायम खसरा नम्बर 754/565 रकबा 0.1332 हैक्टयर को निरस्त करते हुए मौजा सड़ा धनजी में चल रहे कदीमी रास्ते के रूप में अंकित निम्न खसरा नम्बर के भू-भाग के संबंध में सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु सं. A से CDEFGHI कुल क्षेत्रफल 0.5010 हैक्ट (सलंग्न नक्शें में लाल स्याही से दर्शित कदीमी रास्ता की भूमि) को संशोधित प्रविष्टि के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने एवं निरस्त बिन्दु सं. A से B के भू-भाग को पुनः पक्षकारान के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

क्र. सं.	खसरा नम्बर	बिन्दु सं.	प्रस्तावित लम्बाई/चौड़ाई (बरंग-लाल)	कदीमी रास्ते के रूप में प्रस्तावित भू-भाग का सकल रकबा
1	753/565	AC	161mX6m	0.0966 Hq
2	574	DE	93mX6m	0.0558Hq
		FG	113mX6m	0.0678Hq
		GH	32mX6m	0.0192Hq
3	575	HI	225mX6m	0.1350
4	577	EF	211mX6m	0.1266

तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 1926 दिनांक 01.12.2022 के सलंग्न प्राप्त नजरी नक्शा (परिशिष्ठ-अ व ब) न्यायालय निर्णय दिनांक 18.10.2022 का अभिन्न अंग रहेगा। तथा शेष प्रावधान यथावत रहेगें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma
Date: 2022.12.31 17:31:47
Reason: SelfAttested